

राजस्थान –सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:-ई-11/नर्सिंग/नर्स-1/के-897/2018/ दिनांक:-

संयोजक,
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैक्टर 18, कुम्भा मार्ग प्रताप नगर,टोंक रोड,
जयपुर।

विषय:-सत्र 2018-19 में एम.एस.सी नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र
अप्रेषित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में राज्य सेवा में नर्सिंग
संवर्ग में कार्यरत निम्नांकित कर्मियों के एम.एस.सी नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु प्राप्त आवेदन मूल ही अग्रिम कार्यवाही हेतु
संलग्न कर प्रेषित है-

क्र.स	नाम कर्मचारी एवं पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति दिनांक
1	श्रीमती किरण कुमारी भाकर	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,सीकर	09.07.14

संलग्न- मूल आवेदन(01)

-sd.
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-ई-11/नर्सिंग/नर्स-1/के-897/2018/ 455

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिक
का आवेदन निम्न शर्तों पर अप्रेषित किये जा रहे है-

शर्त:-

1. उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
2. प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक तुरंत विभाग में अपनी उपस्थिति देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
3. कार्मिक प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदोन्नति, वित्तीय लाभ अथवा उच्च वेतनमान की मांग नहीं करेगा।
4. राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।
5. नियमानुसार स्वयं का अवकाश/अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना होगा। व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की यह अध्ययन स्वयं के बकाया अवकाश/अध्ययन अवकाश पर करेंगे। प्रतिनियुक्ति मांग नहीं करेंगे।
6. संविदा/प्रोबेशन पर कार्यरत कर्मी उक्त प्रशिक्षण में चयन होने के पात्र नहीं माने जावेगे।

2-सम्बन्धित कार्मिक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।

3- प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करें।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।